

सराहनीय कार्य : अमरोहा पुलिस प्रशासन

शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त/गौवध माफिया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए करीब 16 लाख रूपयों की कुल अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.06.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर, नायब तहसीलदार अमरोहा नगर के नेतृत्व में थाना डिडौली पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना डिडौली क्षेत्र के गौकश माफिया व गैंगस्टर अपराधी परवेज पुत्र यामीन निवासी मौ0 इकबाल नगर कस्बा जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 16,00,000/- रूपयों की अवैध संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्त परवेज द्वारा अवैध गौवंश का तस्करी/कटान आदि घटनायें कारित कर अपराध से अवैध रूप से धन अर्जित कर कस्बा जोया में एक प्लॉट तथा घरेलू सामान अर्जित किया गया था जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध गौवंश कटान, अवैध शस्त्र व गैंगस्टर सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त परवेज अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आस-पास के क्षेत्रों में गौवंश की तस्करी व कटान का काम करता था जिसके विरुद्ध थाना डिडौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी जिसके उपरान्त नियमानुसार अभियुक्त परवेज के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।



कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

1. 16,00,000/- रुपये की चल/अचल सम्पत्ति ।
(कस्बा जोया में एक प्लॉट व घरेलू सामान)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त परवेज-

1. मु0अ0सं0 234/2015 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कु0 अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 118/2020 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कु0 अधि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 361/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3(1) गैग0 एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 208/2022 धारा 307/120 भादवि व 13(1ए/13(2) एचजीएच एक्ट व 25(1ए)बी आर्म्स एक्ट थाना फारुखनगर हरियाणा ।

PRO CELL AMROHA